भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 3118

जिसका उत्तर 12.03.2020 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण

3118. श्रीमती नवनित रवि राणाः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या परियोजनाओं के भाग के रूप में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण किया जाना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का अगले पांच वर्षों के दौरान एनएच के किनारे 125 करोड़ पेड़ लगाने का विचार है और यदि हां, तो देश, विशेषकर महाराष्ट्र में अब तक लगाए गए पेड़ों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन रोपे गए पौधों के जीवित रहने की दर में वृद्धि करने के लिए इन पौधों के पोषण हेतु एनजीओ को शामिल करने की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सड़क निर्माण करने वाली उन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है जो सरकार की नीति के अनुसार पौधारोपण नहीं करती हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): जी हां । वृक्षवीथि एवं मध्यांतर वृक्षारोपण परियोजना का एक अभिन्न अंग है । आईआरसी: एसपी:21:2009 और ग्रीन हाइवे पॉलिसी, 2015 के तहत् उपलब्ध मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) पर ठेकेदार द्वारा बीओक्यू आइटम के रूप में वृक्षारोपण किया जाता है । जहां खंड ठेके की सीमा के अंदर नहीं होता वहां यह कार्य वन विभाग द्वारा डिपॉजिट वर्क के रूप में तथा निजी एजेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्धा बोली द्वारा भी किया जाता है । पिछले तीन वर्षों एवं चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भाराराप्रा ने महाराष्ट्र सहित पूरे देश में अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 1.43 करोड़ से ज्यादा वृक्ष रोपित करवाए हैं ।

(ग) और (घ): ग्रीन हाइवे पॉलिसी, 2015 समुदाय, किसानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, सरकारी अभिकरणों और वन विभाग की भागदारी के साथ राजमार्गों के गलियारों की हरियाली को बढ़ावा देती है । मुद्दे/विवाद ठेकेदारों के साथ किए गए संविदा करार के अनुसार निपटाए जा रहे हैं ।

*****